(

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0-4595087 पटना, दिनांक 12/09/2025

ग्रा0वि0-R-504/98/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-344156)

श्री अशोक कुमार जिज्ञासु, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-210489), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी (दरभंगा) के विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना में वाद संख्या-37/2021 दीपक कुमार बनाम अक्षय कुमार में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-3297 दिनांक-16.12.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) के पत्रांक-01 दिनांक-01.02.2024 द्वारा श्री जिज्ञासु का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अशोक कुमार जिज्ञासु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु संकल्प संख्या-3192351 दिनांक-20.09.2024 द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3630810 दिनांक-28.01.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरूद्ध लगाये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-18(3) के तहत श्री जिज्ञासु से विभागीय पत्रांक-3808022 दिनांक-10.03.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, दरभंगा के पत्रांक-365 दिनांक-01.04.2025 द्वारा श्री जिज्ञासु का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त आरोप पत्र, श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री जिज्ञासु से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री जिज्ञासु द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री अशोक कुमार जिज्ञासु, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी (दरभंगा) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-14(vi) के तहत "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरूद्ध "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री अशोक कुमार जिज्ञासु की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.9.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

का०परि०बही

ज्ञापांक:- 4595087 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 12/09/25

ग्रा०वि०- R-504/98/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-344156

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

12.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

स्पीड पोस्ट/ ई-मेल

ज्ञापांक:- 4595087/ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 12/09/25

ग्रा०वि०- R-504/98/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-344156

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं दरभंगा/उप विकास आयुक्त, भोजपुर एवं दरभंगा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर एवं दरभंगा /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03/श्री अशोक कुमार जिज्ञासु, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी (दरभंगा)/आई०टी०मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4595087 / पटना, दिनांक :- 12/09/25

ग्रा०वि०- R-504/98/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-344156

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

12.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-16.doc-